न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम बरण तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर
(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 25/2017

अनवान

1 सुखानाथ पिता हीरानाथ निवासी रूगनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

..... वादी

बनाम

1 बालुनाथ पिता रामनाथ निवासी रूगनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्री सुखानाथ .....वादी
श्री बालुनाथ.....प्रतिवादी
पैरोकार सरकार

–:: निर्णय ::–

दिनांक 10.06.2017

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीा ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम रूगनाथपुरा पटवार हल्का बरण तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा कें आराजी संख्या 862 रकबा 00–07 बीघा, आराजी संख्या 868 रकबा 01–06 बीघा, आराजी संख्या 875 रकबा 00–03 बीघा में हिस्सा निहित है जो कि प्रतिवादीगण संख्या 01 के नाम राजस्व रेकार्ड में अन्य आराजीयात के साथ के साथ दर्ज थी। वादग्रस्त आराजीयात को वादी द्वारा प्रतिवादी सख्या 01 से दिनांक 15.02.1989 जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। वादी खरीद के आधार पर खातेदार काश्तकार होकर आराजी संख्या 862 रकबा 00–07 बीघा, आराजी संख्या 868 रकबा 01–06 बीघा, आराजी संख्या 875 रकबा 00–03 बीघा में हिस्सा पर काबिज होकर काश्त एंव उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। विक्रय उपरान्त राजस्व कर्मचारीयों द्वारा वादी के नाम नामान्तकरण संख्या 435 दिनांक 04.06.1990 को भरकर प्रस्तुत किया गया जो ग्राम पचांयत बरण द्वारा फैसल कर निर्णित किया गया। नामान्तकरण में हल्का पटवारी द्वारा विक्रय पत्र के आधार पर तीनो आराजीयात का नामान्तकरण भरकर प्रस्तुत नही कर केवल आराजी संख्या 862, 868 का ही नामान्तकरण भरकर प्रस्तुत किया और नामान्तकरण वादी के नाम फैसल किया गया। जबकि वादी द्वारा आराजी संख्या 862, 868, के साथ 875 भी खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है।

वादग्रस्त आराजी संख्या 875 रकबा 00–03 बीघा जो वर्तमान में प्रतिवादी क्रम 01 के नाम बतौर सहखातेदार काश्तकार के दर्ज रेकार्ड है। जबकि वादी सद्भाविक क्रेता होकर रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक 15.02.1989 के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 के स्थान पर वादी का नाम सहखातेदार के रूप में राजस्व अभिलेखो में दर्ज किया जाना आवश्यक एंव न्यायोचित है।

अतः ग्राम रूगनाथपुरा पटवार क्षैत्र बरण स्थित आराजी संख्या 875 रकबा 00–03 गै0मु0चाह वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी क्रम 01 के नाम के स्थान वादी का नाम बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर, तद्नुसार घोषणात्मक डिक्री सादर फरमायी जावें। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी संख्या 01 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाडा (राज.)

2. वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 10.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बरण में नया प्राप्त कर दर्ज रजिस्टर किया गया। शिविर के दौरान विपक्षी कम 01 द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किये जाने में अपनी और से सहमति व्यक्त करते हुए प्रमाण में राजीनामा प्रपत्र पर हस्ताक्षर किये गये। शेष प्रतिवादी राज्य पक्ष तहसीलदार बनेडा वक्त केम्प उपस्थित। शिविर में उपस्थित उभयपक्ष वादी सुखानाथ एंव प्रतिवादी बालुनाथ के बयान कलमबद्ध किये जाकर रिकार्ड पर लिए गये।

3. प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य, कलमबद्ध बयानो, एवं वादपत्र का अध्ययन एवं मनन उपरान्त वादीगण द्वारा वादपत्र सहमती से लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

वादी का वादपत्र प्रतिवादी की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम रूगनाथपुरा पटवार क्षैत्र बरण स्थित आराजी संख्या 875 रकबा 00—03 गै0मु0चाह वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी कम 01 के नाम के स्थान वादी का नाम बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तद्नुसार आशय की अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। तथा साथ ही प्रतिवादी कम 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादी के हक हिस्से की आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावें। अंन्तिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। उक्तानुसार डिक्री पर्चा तरतीब किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बरण खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राष्ट्रीय लोक अदालत मुकाम बरण तहसील बनेड़ा
: : मूल वाद मे अन्तिम डिक्री : :
{आदेश 20 नियम 6, 7 जा0दी0}

प्रकरण संख्या 25/2017

अनवान

1 सुखानाथ पिता हीरानाथ निवासी रूगनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

..... वादी

बनाम

1 बालुनाथ पिता रामनाथ निवासी रूगनाथपुरा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा
2 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :::– श्री सुखानाथ .....वादी
श्री बालुनाथ.....प्रतिवादी
पैरोकार सरकार

दिनांक– 10.06.2017

वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, 89, 92(क), 188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत आपसी राजीनामें से मंजूर किया जाता है। वाद डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी के इस आशय की जारी की जाती हैं कि ग्राम रूगनाथपुरा पटवार क्षैत्र बरण स्थित आराजी संख्या 875 रकबा 00–03 गै0मु0चाह वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी क्रम 01 के नाम के स्थान पर वादी का नाम बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश पारित किये जाते है। तथा साथ ही प्रतिवादी क्रम 01 को स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादी के हक हिस्से की आराजियात की भूमि में अनावश्यक दखलन्दाजी न स्वयं करें एवं नही किसी अन्य से करावें। तद्नुसार अन्तिम डिक्री पारित की जाती है। डिक्री की प्रति तहसीलदार बनेड़ा को पालनार्थ भिजवाई जावे। तहसीलदार बनेड़ा तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद करें। खर्चा फरिकेन अपना–अपना वहन करे।

आज दिनांक 10.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम बरण में मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी गयी।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
जिला भीलवाड़ा (राज.)